

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- महापुरा

प्रकरण संख्या:- 82/2025

दिनांक:- 27/06/2025

उमवान

श्री उपारजीलाल पुज
हजारी नि
कुरलीमनोहरपुरा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का महापुरा भू अ. नि. नाम सुधी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम महापुरा प 0 ह 0 महापुरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 104 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>नाम सुधी</u>	<u>उपारमा पुज</u> <u>हजारी टि. 1/6</u>	<u>उपारमलाल</u> <u>पुज</u> <u>हजारी टि. 1/6</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री उपारजीलाल पुज हजारी भोली नि-कुरलीमनोहरपुरा
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)